A052-20232024-002-1800521

संख्या-04/2024/290/52-1-2024

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,

इन्दिरा भवन, लखनऊ ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 20 मार्च, 2024

विषय– केन्द्र पुरोनिधानित योजना (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि एवं समानुपातिक राज्यांश को एस0एन0ए0 खाते में अन्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण के पत्र सं0-5956/अ0सं0क0नि0/पी0एम0जे0वी0के0/धन0मांग(330/4)/2022 दिनांक 18.03.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश एवं समानुपातिक राज्यांश की धनराशि को एस0एन0ए0 में अन्तरित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पुरोनिधानित योजना प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या-13/49/2021-एम0एस0डी0पी0-मोमा0(1) दिनांक 13.03.2024 द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि रू0 3500.00 लाख (रू0 पैतीस करोड़ मात्र) एवं समानुपातिक राज्यांश की धनराशि रू0 2333.00 लाख (रू0 तेईस करोड़ तैतीस लाख मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 5833.00 लाख (रू0 अट्ठावन करोड़ तैतीस लाख मात्र) को एस0एन0ए0 में निम्न विवरणानुसार अन्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

http://shasanadesh.up.gov.in

(धनराशि रू0 लाख में)

अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	मानक मद	केन्द्रांश	राज्यांश	एस0एन0ए0 में अंतरित की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6
48	**4235-02-800-01-0105**-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेन्ट डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत आई0टी0आई0 भवनों का निर्माण (के0-60/रा0-40-के0) **4235-02-800-89-8905**-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत आई0टी0आई0 भवनों का निर्माण	**24-वृहत निर्माण कार्य**	2000.000	1418.133	3418.133
48	**4235-02-800-01-0106**-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण (के0-60/रा0-40-के0) **4235-02-800-89-8906**- अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण	**24-वृहत निर्माण कार्य**	1085.000	637.267	1722.267
48	**4235-02-800-01-0119**-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत सदभाव मण्डप का निर्माण (के0-60/रा0-40-के0) **4235-02-800-89-8919**-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत सदभाव मण्डप का निर्माण	**24-वृहत निर्माण कार्य**	310.000	207.200	517.200
48	**4235-02-800-01-0124**-प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कॉमन सर्विस सेन्टर (के0-60/रा0-40-के0) **4235-02-800-89-8924**-प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कॉमन सर्विस सेन्टर	**24-वृहत निर्माण कार्य**	27.000	18.400	45.400
48	**4235-02-800-01-0125**-प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) योजनान्तर्गत वर्किंग वूमेन हास्टल का निर्माण **4235-02-800-89-8925**-प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) योजनान्तर्गत वर्किंग वूमेन हास्टल का निर्माण	**24-वृहत निर्माण कार्य**	78.000	52.000	130.000
	योग		**3500.000**	**2333.000**	**5833.000**

http://shasanadesh.up.gov.in

3. अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2. प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजनान्तर्गत अपेक्षित केन्द्रांश की धनराशि राज्य की समेकित निधि में जमा है।

3. भारत सरकार के तदसंबंधी विभिन्न पत्रों के माध्यम से प्राप्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन निदेशालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

4. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण का होगा।

5. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह उत्तरदायित्व निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण का होगा।

6. वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व निदेशालय के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

7. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

8. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा सम्भावित व्यय को एक मुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार किया जाये।

9. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

10 व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

4. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू.ओ. **संख्या-E-4-312-X-2023-24 दिनांक 20.03.2024** मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-290/52-1-2024-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, मा0 मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
6. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को अपर मुख्य सचिव महोदया के अवलोकनार्थ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
9. लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in